कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/माध्य/अ–4/म.गां./अंग्रेजी माध्यम/2019–20/ दिनांकः 22.07.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) –माध्यमिक।

विषय :– जिला मुख्यालय पर नवस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) का नियमित निरीक्षण एवं सम्बलन प्रदान करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर शासकीय निर्देशानुरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.2019 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम का राजकीय विद्यालय "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" के नाम से स्थापित किया गया है।

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम के उक्त विद्यालय की स्थापना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें उत्कृष्ट स्तर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था विभागीय लक्ष्य है। उपर्युक्त क्रम में शासकीय निर्देशों की समुचित पालना हेतु आप अपने अधीनस्थ नवस्थापित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की स्थानीय स्तर की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रतिमाह उक्त विद्यालय का समुचित निरीक्षण कर वांछित सम्बलन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार उक्त विद्यालय हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) को उक्त विद्यालय का साप्ताहिक आधार पर प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण करते हुए उक्त विद्यालय के समुचित संचालन एवं शैक्षिक गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु सतत् प्रगति समीक्षा एवं मूल्यांकन रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत् यह विद्यालय प्रारम्भ ही हुआ है, अतः उक्त विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर कार्य/प्रतिनियुक्ति हेतु यथासम्भव न भेजा जावें। इस विद्यालय में चयनित कार्मिकों का कार्यग्रहण दिनांक 26.07.2019 तक सुनिश्चित करावें। साक्षात्कार में पात्र आशार्थी के उपलब्ध न होने अथवा किसी भी आशार्थी के साक्षात्कार न देने की स्थिति में जिले से उपयुक्त, अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षण कराने में दक्ष ऐसे शिक्षक/कार्मिक का चयन कर आगामी आदेश तक पदस्थापित करावें। जिसका कार्य परिणाम पूर्व में उत्कृष्ट रहा है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर.

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

D:\ma - D\General letter\General latter.doc82